

# मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई, 2019 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 31, 1941)  
समय 11.00 बजे दिन.

## 1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्रीमती शीला दीक्षित, दिल्ली की भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा
- (2) श्री नेमीचंद जैन, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

## 2. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) श्री करण सिंह वर्मा, सदस्य, सीहोर जिले के इच्छावर तहसील में खसरे की नकल देने हेतु अवैध राशि की वसूली किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री संजय यादव, सदस्य, भोपाल में भूमि पूजन के बाद भी विकास कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) डॉ. मोहन यादव, श्री पारस चन्द्र जैन, सदस्य, उज्जैन की विनोद मिल के श्रमिकों को बकाया राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्रीमती रामबाई गोविन्द सिंह, सदस्य, सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर मद्द्हुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

## 4. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम खमकुआं में विद्युत सब-स्टेशन स्वीकृत कराये जाने,

(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के ग्राम सरदारपुर अंतर्गत राजगढ़ नगर में सोसायटी ग्राउण्ड पर खेल स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम राजौर महुआखेड़ा के पास ऐर नदी पर डेम बनाये जाने,

(4) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के कैथलाय से बोलाई ब्हाया ध्रुतिरिया तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(5) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य, देवास जिले के ग्राम सुलगांव से बंडी के मध्य जामनेर नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(6) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम आक्या उमाहेड़ा से नगरी-हनुमंती तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(7) श्री अनिल जैन, सदस्य, निवाड़ी शहर में एक जिम (व्यायाम शाला) एवं एक पुस्तकालय प्रारंभ कराये जाने,

(8) डॉ. मोहन यादव, सदस्य, उज्जैन जिले के माधवनगर रेलवे स्टेशन से देवास गेट को जोड़ने हेतु अण्डर ग्राउण्ड ब्रिज का निर्माण कराये जाने,

(9) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य, दमोह जिले के हटा नगर अंतर्गत गांधी वार्ड में मंगल भवन का निर्माण कराये जाने,

(10) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के ग्राम जावर में बायपास पुल का निर्माण कराये जाने,

(11) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य, छतरपुर नगर में बायपास सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(12) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद नगर अंतर्गत मालाखेड़ी चक्कर रोड वार्ड क्र. 11 में सड़क, विजली, पानी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने,

(13) श्री प्रणय प्रभात पांडे, सदस्य, कटनी जिले के बहोरीबंद अंतर्गत शांति नगर जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों को मुआवजा प्रदान कराये जाने,

(14) श्री प्रह्लाद लोधी, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम हरदुआ/खमरिया के पास कठई बांध के पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्रदान कराये जाने,

(15) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य, रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्रातंर्गत आने वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत को नल-जल योजना से जोड़े जाने,

(16) श्री विक्रम सिंह, सदस्य, सतना जिले के रामपुर बघेलान अंतर्गत तहसील कोटर में शासकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने,

(17) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, सागर जिले के ग्राम पंचायत कर्रापुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने,

(18) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम पुरुषोत्तमपुर में 33 के.वी. का सब पावर स्टेशन लगवाये जाने,

(19) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम राती करार खुर्द में सड़क का निर्माण कराये जाने,

(20) श्री मनोज चावला, सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम खारवां कला में गोगापुर ताल रोड के दोनों ओर नाली का निर्माण कराये जाने,

(21) श्री उमाकांत शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम इमलानी के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,

(22) श्री कुंवरजी कोठार, सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम सिमरौल-पठारी तक राज्य संपर्कता योजनान्तर्गत सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(23) श्री सोहनलाल बाल्मीकी, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के ग्राम परासिया से ग्राम नेहरिया तक रोड का निर्माण कराये जाने,

(24) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम मोहिना से गुराड़िया पित्रामल तक रोड की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(25) श्री राकेश गिरि, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम अचरा का नाम आचार्य धाम करने एवं जिला निवाड़ी का नाम जिला ओरछा धाम किये जाने,

(26) श्री महेश परमार, सदस्य, उज्जैन जिले के माकडोन रूपाखेड़ी के डामरीकृत सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने,

(27) श्री राहुल सिंह लोधी, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के खरगापुर अंतर्गत ग्राम कुड़ीला में रेस्ट हाउस का निर्माण कराये जाने,

(28) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे, सदस्य, बालाघाट जिले के जनपद पंचायत किरनापुर अंतर्गत घिसरी नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(29) श्री प्रेमशंकर वर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम खोहरा से तारमखेड़ा तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(30) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम मोहनी देवी स्थित मंदिर से ग्राम जमुनिया तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(31) श्री संजय शर्मा, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम पलोहावड़ा से टिमरावन तक के मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराकर पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(32) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य, सागर जिले के राजीव नगर वार्ड स्थित अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,  
के संबंध में याचिकाएँ प्रस्तुत करेंगे.

## निर्धारित समय 5. वर्ष 2008-2009 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक.

15 मि.

(i) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे-

“दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 43 एवं 62 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदया को पांच करोड़, उनतीस लाख, पच्चीस हजार, सात सौ तिहातर रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.”

(ii) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) का \*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

## 6. वर्ष 2010-2011 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक.

15 मि.

(i) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे-

“दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 23 एवं 24 के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त आधिक्य व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदया को बारह करोड़, बासठ लाख, सैंतीस हजार, सात सौ चालीस रुपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय.”

(ii) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) का \*\*पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

\*आधिक्य व्यय की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

\*\* आधिक्य व्यय की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.

